URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(41) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/GOI/विविध./2016–17 जयपुर, दिनांक 24 नवम्बर, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र)
समस्त राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन में की जानी वाली कार्यवाही के सम्बंध में।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एम–12018/3/ 2014–RH (A/C) दिनांक 12. 11.2016

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासागिक पत्र के कम में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये है योजनान्तर्गत सभी तरह की राशि हस्तांतरण का कार्य आवाससाफ्ट के माध्यम से ही किया जावेगा। योजना के सुचारू संचालन हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये जाते है।

1. वर्ष 2016–17 के पात्र लाभार्थियों के सीबीएस आधारित बैंक खाता सम्बंधित विवरण की आवाससाफ्ट पर सही–सही प्रविष्ठियॉ किया जाना सुनिश्चित करावे। खातो का पीएफएमएस से सत्यापन पश्चात पुनः खाते फ्रिज करने हेतु ब्लॉक लेवल पर भेजी जावेगी। अतः ब्लॉक लेवल पर खातो का पुनः निरीक्षण उपरान्त फ्रिज किया जाना सुनिश्चित करे। इसके उपरान्त योजना अवधि तक लाभार्थी के खातों में संशोधन नही किया जा सकेगा।
2. लाभार्थी के पंजीयन के समय आवास निर्माण स्थल एवं वर्तमान रहवास स्थल की जीओ टैग फोटो, धर्म, आधार कार्ड न0 (उपलब्ध होने पर) का विवरण भी आवास साफ्ट पर अपलोड किया जावे।
3. विभागीय आदेश संख्या 28/2016 (परिपत्र) दिनांक 02.08.2016 के अनुसार लाभार्थी को 3 किश्तो में (प्रथम–स्वीकृति के साथ 25 प्रतिशत राशि रू. 30,000/–, द्वितीय–कुर्सी स्तर तक निर्माण पूर्ण करने पर 50 प्रतिशत राशि रू. 60,000/–, एवं तृतीय–छत कार्य एंव शौचालय का कार्य पूर्ण होने पर 25 प्रतिशत राशि रू. 30,000/–,) सहायता राशि जारी की जावे।
4. भारत सरकार द्वारा राज्य को वर्ष 2016–17 हेतु 1,87,094 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस कम में विभागीय पत्र दिनांक 13.07.2016 के द्वारा शत् प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु लक्ष्यों में 10 प्रतिशत बढाकर (205803) जिलेंवार लक्ष्य आवंटित किये गये है। इस कम में निर्देश है कि 1,87,094 के लक्ष्यों के अनुसार जिलें के लक्ष्य मानते हुये, ग्राम पंचायत स्तर तक के लक्ष्य आवास साफ्ट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्राविं

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एवं उपसचिव (मो.एवं मू), ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्राविं)